FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराईं (अजमेर)

सांवरिया पुत्र मूला जाति जाट उम्र 61 साल निवासी ग्राम धौलपुरिया तहसील अंराई जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 वगै0—

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा— प्रार्थना अन्तर्गत धारा 151,152 व्य.प्र.सं. व 86 भू.राज.अधि.1956

नंबर 12 /2022

ऑनलाइन नंबर 2022/ ....

वकील वादीगण श्री भवानी सिंह,इन्द्रेश जी

वकील प्रतिवादीगण ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	फर्द या अहकाम जो इस तारीख को जारी हुये
27.01.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील वादी श्री भवानी सिंह व इन्द्रेश के.रामचन्दानी द्वारा पेश किया गया। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151,152 व्य.प्र.सं. व 86 भू.राज.अधि. 1956 के साथ अपनी एकपक्षीय बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अरांई में माह अगस्त 2020 में एक अपील पेश की थी जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था किन्तु उक्त प्रकरण 371/2020 उनवान सांवरिया बनाम सरकार में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 06.10.2021 के पुनरावलोकन हेतु यह याचिका श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। हमारे द्वारा वकील वादी को सुना गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा की गई अपील की मूल पत्रावली कमांक 371/2020 उनवान सांवरिया बनाम सरकार को संलग्न कर शामिल किया जावे। प्रकरण अलग से दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 04/2/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
04/2/2022	पत्रावली पेश हुई। राजस्व मण्डल के आदेशानुसार कोरोना महामारी के कारण कार्य [illegible] पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18/2/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	

... पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगणों के तामिलशुदा नोटिस प्रा० मि०। आवश्यक हेतु बार एसोसिएशन की ओर से न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 25/4/2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

25/4/2024 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० वकील वादी की प्रा० पत्र पर एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त बाबत लिए आदेश पत्रावली दिनांक 11/3/2024 को पेश हो। अप्रार्थी नं. 1 व 2 का जवाब पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः वास्ते ... पत्रावली दिनांक 11/6/2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

11/3/2025 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से तैयार करवाया जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। प्रा० पत्र के तहत ... होकर नतीजा ... बाद ... दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई(अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री खेमा राम यादव (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र संख्या – 12/2022 उनवान सांवरिया बनाम सरकार

1. सांवरिया पुत्र मूला जाति जाट,आयु 61 साल,निवासी ग्राम धौलपुरिया, तहसील अरांई जिला अजमेर

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई जिला अजमेर।
2. ग्राम पंचायत कालानाडा जरिये सरपंच महोदय ग्राम पंचायत कालानाडा तहसील अरांई जिला अजमेर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151,152 व्यवहार प्रकिया संहिता सपठित धारा 86 राजस्थान भू.राज. अधि. 1956

!! निर्णय !!

दिनांकः–11.03.2022
उपस्थितः वकील वादी व वादी स्वयं

प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री इन्द्रेश रामचन्दानी के एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151,152 व्यवहार प्रकिया संहिता सपठित धारा 86 राजस्थान भू.राज. अधि. 1956 तहत पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय में धारा 75 राजस्थान भू राज राजस्व अधिनियम के अधीन अपील ग्राम धौलपुरिया के नामान्तरण संख्या 37 दिनांक 02.06.1989 में प्रार्थी का वास्तविक नाम सांवरिया पुत्र मूला के स्थान पर सहवन से श्रवण पुत्र सांवरिया अंकित होने बाबत प्रस्तुत की थी एवं माननीय न्यायालय से उपरोक्त प्रार्थी ने अपील में निम्न अनुतोष चाहा था :– " ग्राम धौलपुरिया पटवार हल्का कालानाडा स्थित कृषि भूमि पैरा संख्या 01 में उल्लेखित रकबा 140 बीघा 02 बीस्वा नामान्तरण संख्या 37 दिनांक 02.06.1989 में मूला की विरासत में श्रवण के हद तक नामान्तरण को अवैध व शून्य घोषित कराने की कृपा करावें ताकि श्रवण के स्थान पर सांवरिया का नाम दर्ज हो सके"। उपरोक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2021 को आदेश पारित कर यह अंकित किया कि अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाकर नामान्तरण संख्या 37 दिनांक 02.06.1989 को शून्य घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार पुनः नामान्तरण की कार्यवाही करे। तहसीलदार अरांई को आदेश पालना की तहरीर जारी हो। उपरोक्त दिनांक 06.10.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में वांछित अनुतोष से परे होकर आदेश 07 नियम 07 के विहित प्रावधानों के प्रतिकूल एवं नामान्तरण संख्या 37 दिनांक 02.06.1989 के हिताधिकारीयों को पक्षकार बनाये बिना आदेश पारित किया गया है जो कि मूलतः धारा 152 व्यवहार प्रकिया संहिता के अधीन विचारणीय श्रेणी का है। तकनीकी रूप से उक्त धारा 152 के अधीन सीमित अधिकार होने से इस प्रार्थना पत्र को धारा 86 राज.भू. अधि. के अधीन सपठित कर यह याचिका प्रस्तुत की जा रही है। वकील याचिकाकर्ता ने आगे निवेदन किया कि उक्त अपील में नामान्तरण चुनौतीग्रस्त नहीं था केवलमात्र उक्त नामान्तरण में अपीलार्थी का नाम सहवन से श्रवण किया हुआ था जबकि वास्तविक नाम सांवरिया है। इस परिपेक्ष्य में अपीलार्थी ने स्वयं का नाम

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

नान्तरण में श्रवण के स्थान पर सांवरिया तक का ही अनुतोष चाहा था ना कि पूरे नामान्तरण को चुनौतीग्रस्त किया गया था। यह पहलू विधि द्वारा अभिनिर्धारित है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित किये जाने के पूर्व उसको सुना जाना सारवान रहता है। नामान्तरण संख्या 37 दिनांक 02.06.1989 में अपीलार्थी के साथ मूला पुत्र गोती के अन्य विधिक वारिसान यथा गोपत,भंवरलाल,गोखा,गोविन्द आदि हिताधिकारी थे। उपरोक्त को बिना सुने ही यह निर्णय पारित किया गया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 06.10.2021 को अपील संख्या 371/2020 सांवरिया बनाम सरकार में पारित निर्णय का पुनर्रावलोकन कर उपरोक्त आदेश निर्णय में की गयी अशुद्धि के प्रकरण में शुद्धि करते हुये नामान्तरण संख्या 37 दिनांक 02.06.1989 में जो प्रार्थी का वास्तविक नाम सांवरिया के स्थान पर श्रवण दर्ज है को शुद्ध किया जाकर श्रवण के स्थान पर सांवरिया का अंकन कर, वांछित अनुतोष के अधीन शुद्धि किये जाने की कृपा करावें।

उक्त प्रकरण दिनांक 27.01.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दिनांक 04.02.2022 को तलबी अप्रार्थीगणों की तलबी पश्चात पेश हुआ। उक्त रिव्यु प्रार्थना पत्र के मूल वाद संख्या 371/2020 उनवान सांवरिया बनाम सरकार में अप्रार्थीगणों का जवाब पूर्व में दिया जा चुका है । अप्रार्थी संख्या 01 व 02 दोनों ने ही उक्त प्रार्थी के सभी कथनों से सहमति दी तथा उक्तानुसार शुद्धि की अनुशंषा की है। अतः दिनांक 25.02.2022 को वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी एकपक्षीय बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी अनपढ तथा ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसे न्यायिक प्रकिया की तनिक भी जानकारी नहीं है इसीलिये अपील संख्या 371/2020 सांवरिया बनाम सरकार में पारित निर्णय का पुनर्रावलोकन कर सांवरिया पुत्र मूला की विरासत की भूमि ग्राम धौलपुरिया पटवार हल्का कालानाडा में स्थित , जिसके खाता संख्या 88 खसरा संख्या 172,177,203,239,297,298,300,314,315,377,397,405 में श्रवण पुत्र मूला के स्थान पर सांवरिया पुत्र मूला का अंकन किया जावे तथा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 06.10.2021 का रिव्यु फरमाया जावे।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया, संलग्न दस्तावेजो व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। यह प्रार्थना पत्र वास्ते मूल वाद संख्या 371/2020 उनवान सांवरिया बनाम सरकार दिनांक 06.10.2021 को हमारे द्वारा किये गये निर्णय के पुनरावलोकन हेतु पेश किया गया है। अज अदालत को यह कहीं भी महसूस नहीं होता कि उक्त निर्णय के पुनरावलोकन की आवश्यकता है किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों, लोक अदालत की भावना व आम जन को न्याय की सुलभता के दृष्टिगत न्यायालय निर्णय दिनांक 06.10.2021 का रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा पुनरावलोकन के तहत तहसीलदार अराई को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी सांवरिया पुत्र मूला की विरासत की भूमि ग्राम धौलपुरिया पटवार हल्का कालानाडा में स्थित, जिसके खाता संख्या 88 खसरा संख्या 172, 177, 203, 239, 297, 298, 300, 314, 315, 377, 397, 405 में श्रवण पुत्र मूला के स्थान पर सांवरिया पुत्र मूला का अंकन करें। आदेश पालना की तहरीर जारी हो।

आदेश लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के मजमें आम खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो जाता दफ्तर दाखिल हो।

खेमा राम यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट
अराई (अजमेर)